Order Sheet [Contd]

Case No. 3/14.3.f 20.

		//
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
09-12-17	प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.12.17 में पेश । परिवादी सहित अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता । अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री विकास कांकर । प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है । उभयपक्षों द्वारा हस्ताक्षरित, परिवादी के राजीनामा आवेदन पत्र में लोक अदालत डॉकंट हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया । परिवादी की पहचा अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता एवं अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री विकास कांकर द्वारा की गयी । उभयपक्षों को सुना । प्रकरण का अवलोकन किया । परिवादी ने राजीनामा आवेदन के मध्यम से निवेदन किया है कि उस अभियुक्त की पुत्री की तिबयत खराब होने से कम रूपये में राजीनामा के अभियुक्त की पुत्री की तिबयत खराब होने से कम रूपये में राजीनामा के अभियुक्त की पुत्री को तिबयत खराब होने से कम रूपये में राजीनामा के अभियुक्त करिण हैं । अभियुक्त की स्थिति को देखते हुए कम राशि न्यायालय अभियुक्त गरीबी में जीवन यापन कर रहा है इस कारण से राजीनामा कर अभियुक्त सरीबों में जीवन यापन कर रहा है इस कारण से राजीनामा कर अभियुक्त संखों को मधुर रखने के आश्रय से किया जाना प्रकट किया है । पारस्परिक संबधों को मधुर रखने के आश्रय से किया जाना प्रकट किया है । अभियुक्त पर धारा 138 एन0आई० एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोग है जो कि न्यायालय की अनुमति से शमनीय हैं । न्याय मूर्ति गण की पीठ के मामले में समझौते पर निम्नानुस परिव्यय लगाने के निर्देश दिये हैं :- 1. यदि अभियुक्त प्रकरण को सूचना पत्र मिलने के बाद पहली या दूस सुनवाई पर समझौता आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तब उस पर के परिव्यय नहीं लगाया जायेगा। 2. यदि अभियुक्त पहली या दूसरी सुनवाई तिथि के बाद विचार त्यायालय में समझौता आवेदन लगाता है तो उस पर चैक की राशि दस प्रतिशत परिव्यय लगाया जा सकेगा। उक्त परिव्यय जिस रतर के न्यायालय पर समझौता होता है वहां के विक्त स्वार्य परिव्यय जिस रतर के न्यायालय पर समझौता होता है वहां के विक्त स्वार्य परिव्यय जिस रतर के न्यायालय पर समझौता होता है वहां के विक्त स्वार्य परिव्यय किस रतर के न्यायालय पर समझौता होता है वहां के विक्त स्वार्य परिव्यय किस रतर के न्यायालय पर समझौता होता है। लेकन न्यायालय मामले के हा और परिर्थितयों में कारण लिखते हुए उक्त परिव्यय कम कर सकती है। "Caselaw:- Madhya Pradesh State Legal Servic Authority v. Prateck Jain and another (2014) 10 SCC 696 2015 (2) MPLJ	ति विकास के ति के

Date of Order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer हुए राजीनामें को सद्भाविक आचरण को देखते हुए परिव्यय राशि की

अधिरोपित किए जाने हेत् निर्देश दिया गया है।

उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में इस प्रकरण को देखने से यह जून का उत्तर का रहा. TOP MUNICIPALITY AND THE PARTY OF THE PARTY पारा म राजीनामा करना बताया है। मात्र एक लाख रूपये की राशि में व्यापना हेतु लोक अदालत को सफल नाम अधार पर गरिक अदालत पीत गराजीनामा करना बताया है। लोक विकास करना विका अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अभियुक्त से राजीनामा स्वीकार किए न्यायोचित आधार माना अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अभियुक्त से राजीनामा स्वीकार किए न्यायोचित आधार हैं। साथ ही परिव्यय राशि चैक राशि के न्यायोचित अधार हैं। साथ ही परिव्यय राशि चैक राशि के न्याया जाता है। अतः रानि न्यायाया जाता है। अतः रानि न्याया जाता है। योयाया जाता है। अतः रानि न्याया जाता है। अतः र अभियुक्त पर परिव्यय राशि को कम किए जाने के लिए न्यायोचित आधार मान

जाने हेतु न्यायोचित आधार हैं। साथ ही परिव्यय राशि चैक राशि के दस प्रतिशत से न्यून कर 5 हजार रूपये के रूप में आदेशित किए जाने हेतु उचित आधार पाया जाता है। अतः यदि अभियुक्त 5 हजार रूपये की राशि परिव्यय के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराए तो राजीनामा स्वीकार किया जावे।

5 हजार रूपये की राशि जमा करने के उपरांत प्रकरण थोड़ी देर बाद पेश हो।

विसीन अधिकारी

पुनश्च:

पक्षकार पूर्ववत।

अभियुक्त के द्वारा रसीद कमांक 06 बुक कमांक 6888 पर 5 हजार रूपये जमा कर रसीद प्रस्तुत की।

धारा 147 एन0आई० एक्ट के अधीन राजीनामा स्वीकार किए जाने हेतु न्यायोचित आधार हैं। अतः बाद तस्दीक राजीनामा स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त अनिल भटेले पुत्र वृन्दावन भटेले को चैक क्0 028284 दिनांक 14.09.15 राशि एक लाख पचास हजार रूपये के संबंध में धारा 138 एन0आई0 एक्ट के आरोप से राजीनामे के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है।

लोक अदालत में राजीनामा संपन्न होने से परिवादी के पक्ष में न्यायशुल्क वापसी हेतु प्रमाण पत्र कलेक्टर को भेजा जावे।

अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

> Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.)

Signatur Partition of Pleades where necessary

150001